

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 291 / 2023
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 RT Act.

अनवान

वादीगण 1.आशीदेवी पत्नि ठाकराराम, जाति जाट
निवासी केरगाडा, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण 1.गीरण पुत्र सुजाल 2.राबी पत्नि गीरण, जाति मुरालमान
निवासी मीठे का तला, तहसील धनाऊ
3.तहसीलदार धनाऊ


अधिवक्तागण -- वादीनी वकील -- श्री फताराम गोदारा
प्रतिवादी वकील -- एकतरफा

यह मुकदमा आज वारते इनाफिराल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री फताराम गोदारा एड
मिनजानिब मुदाई व एड मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री
दी जाती है कि वादीनी का वाद रवीकार किया जाकर तहसील धनाऊ के मौजा गीठे का तला के
खरारा रां. 555/75 रकबा 02.1691 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे /अतिक्रमण
को हटाकर कब्जा पुनःवादीनी को सुपर्द करने का आदेश तहसीलदार धनाऊ को दिया जाता है।
आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु तहसीलदार धनाऊ को अधिवक्ता
किया जाता है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत
पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख
सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसन्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.11.2025 को जारी की गई।



दरतखत
ओहदा
सहायक कलक्टर

नाम	उपनाम	पिता	मुदाफरिद	(SDO) चौहटन
रामा अनीलया रामा ककालमाना रामा सदा प्रहमनामा उकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावल इजराय हुमनामा मुतफरिद			रामा ककालमाना रामा वजी महनामा (वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुमनामा मुतफरिद	 मोज

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का वाहे विकरी के जरिये दिलाये करना।

प्रमाणित प्रतिलिपि

28
सहायक कलक्टर
चौहटन